

पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का विवरण

1. भौतिकी चिकित्सा स्नात्कोत्तर (एम.पी.टी.) दो वर्षीय पाठ्यक्रम

भौतिकी चिकित्सा स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम की कुल दो वर्ष शैक्षणिक अवधि है उक्त पाठ्यक्रम में विभिन्न भौतिक चिकित्सा विषय जैसे स्नायु (न्यूरो), अस्थि (आर्थो), हृदय(कार्डियक), स्त्रीरोग (आब्ज गायनी), खेल कूद (स्पोर्ट्स) में से किसी एक विषय में दो वर्ष की अवधि का अध्यापन पूर्ण करने के पश्चात् अर्हताधारी छात्र भौतिक चिकित्सा क्षेत्र में जॉब एवं उपचार की दक्षता प्राप्त कर लेता है तथा पाठ्यक्रम की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् स्नात्कोत्तर धारी भौतिक चिकित्सक पी एच डी जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। स्नात्कोत्तर धारी भौतिक चिकित्सा छात्र अपने विशेषज्ञता अनुसार चिकित्सा अथवा पुर्नवास क्षेत्र में स्वयं को अनुभवनुसार आर्थिक अनुसार आत्मनिर्भर कर सकता है।

2. डिग्री कोर्स साढ़े चार वर्षीय पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)

बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बी.पी.टी चार साल का डिग्री पाठ्यक्रम है। चार साल के इस कोर्स के पश्चात् उम्मीदवार को फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए 6 महिने की इन्टर्नशिप करना आवश्यक है। चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक एवं अन्य योग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से किया जाता है। यहां पर उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। मेडिकल छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली प्रायोगशालाओं में ही इन छात्रों को प्रायोगिक शिक्षा दी जाती है। चिकित्सा महाविद्यालय में बड़ी संख्या में आने वाले रोगियों का भी इन्हे प्रशिक्षण में लाभ मिलता है। अस्पतालों के टीम वर्क में इनकी अहम भूमिका होती है। इसके अलावा वे शहरों एवं कस्बों में स्वयंम का फिजियोथेरेपी सेन्टर भी खोल सकते हैं। बी.पी.टी. कोर्स के पश्चात् छात्र एम.पी.टी. कोर्स के लिए नामांकन करा सकते हैं। तत्पश्चात् चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रहे बी.पी.टी पाठ्यक्रमों में टीचिंग पद पर इनकी नियुक्ति की जा सकती है। आजकल के खेल-कूदों में फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। कुशल फिजियोथेरेपिस्ट की मांग विदेशों में भी है।

3. डिप्लोमा कोर्स दो वर्षीय पाठ्यक्रम 1. डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन

इस पाठ्यक्रम में छात्रों को शरीर की संरचना का मूलभूत ज्ञान दिया जाता है इसके पश्चात् एक्सरे में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों की तकनीकी जानकारी दी जाती है। विभिन्न प्रकार के मरीजों की इस विभाग के अंतर्गत किस प्रकार जांच की जाती है इसका विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है। रोजगार के अवसर:- रेडियोग्राफर प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को शासकीय एवं निजी अस्पतालों में रोजगार का काफी अवसर उपलब्ध रहते हैं।

2. डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्नीशियन

इस पाठ्यक्रम में छात्रों को विभिन्न प्रकार के मरीजों में की जाने वाली जांचों जैसे:- ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, साइटोलॉजी, हिस्टो-पैथालॉजी इत्यादि में लेब टेक्नीशियन की भूमिका पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान इन छात्रों को चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध अत्याधुनिक मशीनों पर कार्य करने का अवसर मिलता है। रोजगार के अवसर:- प्रशिक्षित लेब टेक्नीशियन के रोजगार के लिए सरकारी अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों में आवश्यकता पड़ती है। प्राइवेट पैथालॉजी लेब में भी ये पैथलॉजिस्ट के अधीन कार्य कर सकते हैं।

3. डिप्लोमा इन ऑप्टैलिमिक असिस्टेंट (नेत्र सहायक)

नेत्र सहायक के प्रशिक्षण के दौरान नेत्र संरचना एवं उसकी कार्यप्रणाली का मूलभूत ज्ञान दिया जाता है प्रशिक्षण के दौरान उन्हें नेत्र रोगियों का प्रारंभिक परीक्षण विजन रिकॉर्डिंग, नेत्र रोगियों का प्राथमिक उपचार, जटिल नेत्र रोगियों के लक्षण, स्कूली छात्रों को नेत्र परीक्षण विभिन्न समुदायों में नेत्र रोगियों का सर्वेक्षण आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें नेत्र शिविर के आयोजन में सहयोग देने एवं नेत्र ऑपरेशन में नेत्र सर्जन को सहायता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पैरामेडिकल ऑप्टैलिमिक असिस्टेंट के रूप में इनकी नियुक्ति की जा सकती है।

4. डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन

डायलिसिस एक चमत्कारी प्रक्रिया है। जो किडनी के मरीजों के लिए एक बरदान है। इस कोर्स में डायलिसिस संबंधी मशीनों की जानकारी आर.ओ. प्लांट के वाटर डायलिसिस से क्या संबंध है। इस विषय में जानकारी दी जाती है। वार्डों में भर्ती डायलिसिस के मरीजों की देखरेख संबंधी जानकारी भी दी जाती है। रोजगार के अवसर:- डायलिसिस प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को शासकीय एवं निजी कम्पनियों में रोजगार के सभी अवसर उपलब्ध रहते हैं।

4. सर्टिफिकेट कोर्स एक वर्षीय (ओ.टी. टेक्नीशियन)

इस पाठ्यक्रम में आपरेशन थियेटर के उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों एवं विभिन्न सामग्रियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण के पश्चात् ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति आपरेशन थियेटर में ओ.टी असिस्टेंट का कार्य कर सकते हैं।

डॉ० पी. के. कसार	—	अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष
डॉ० अक्केश प्रताप सिंह	—	कोऑर्डिनेटर
डॉ० संजय गेडाम	—	सब-कोऑर्डिनेटर

चयन समिति

डॉ० पी.के कसार	चेयरमैन
डॉ० अर्जुन सक्सेना	सदस्य
डॉ० अशोक विद्यार्थी	सदस्य
डॉ० रेखा अग्रवाल	सदस्य
डॉ० नीरज जैन	सदस्य
डॉ० रश्मि नायक	सदस्य
डॉ० बाहुवली जैन	सदस्य

(1) कोर्स इंचार्ज

- स्नातक एवं स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम (भौतिकी चिकित्सा) बी.पी.टी./एम.पी.टी पाठ्यक्रम
डा अशोक विद्यार्थी, प्राध्यापक
अस्थि रोग विभाग
श्री अजय फौजदार, कोऑर्डिनेटर
 - डिप्लोमा पाठ्यक्रम
2. ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट
डॉ० यू.पी दिपांकर, प्राध्यापक
नेत्र रोग विभाग
 - एक्सरे रेडियोग्राफर
डॉ० श्रीमति रेखा अग्रवाल, सह-प्राध्यापक
रेडियोलॉजी विभाग
 - मेडिकल लैब टेक्नियन
डॉ० रश्मि नायक, सह-प्राध्यापक
पैथोलॉजी विभाग
 - डायग्नोसिस टेक्नियन
डॉ० नीरज जैन, सह-प्राध्यापक
मेडिसिन विभाग
- 3 सर्टिफिकेट कोर्स**
- ओ.टी. टेक्नियन
डॉ० अर्जुन सक्सेना प्राध्यापक
सर्जरी विभाग

**पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीट
वर्ष 2020-21**

स्नात्कोत्तर ,(पी.जी.) एम.पी.टी.(दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्र.	कोर्स	विभाग	कुल सीट
1	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स	ऑर्थोपेडिक्स विभाग	05
2	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी आर्थो.	ऑर्थोपेडिक्स विभाग	05
3	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कार्डियोलाजी	ऑर्थोपेडिक्स विभाग	05
4	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी न्यूरो.	ऑर्थोपेडिक्स विभाग	05
	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी आल्स एवं गायनी	ऑर्थोपेडिक्स विभाग	05

1. डिग्री कोर्स (साढ़े चार वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्र.	कोर्स	विभाग	कुल सीट	विभागीय	अन्य
1	बेचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (भौतिकी चिकित्सा स्नातक)	ऑर्थोपेडिक्स विभाग	50	05	45

2. डिप्लोमा कोर्स (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्र.	कोर्स	विभाग	कुल सीट	विभागीय	अन्य
1	एक्सरे टेक्नियन	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	30	03	27
2	मेडिकल लैब टेक्नियन	पैथालॉजी विभाग	50	05	45
3	ऑर्थोडॉन्टिक असिस्टेंट	नेत्र रोग विभाग	30	03	27
4	डायलिसिस टेक्नियन	मेडिसिन विभाग	30	03	27

3. सर्टिफिकेट कोर्स (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्र.	कोर्स	विभाग	कुल सीट	विभागीय	अन्य
1	ओ.टी. टेक्नियन	सर्जरी विभाग	30	03	27

नोट:- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सभी पाठ्यक्रमों के लिए)—बायलॉजी समूह के बारहवी कक्षा उत्तीर्ण। साथ ही बारहवी कक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के छात्रों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए होना आवश्यक है। ऐसे छात्र जो बारहवी कक्षा, लेबोरेटरी मेडिसिन, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एवं माइक्रोबायोलॉजी से उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्रों को सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नियन पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी।

उपलब्ध सीटों में आरक्षण विवरण

Course Name	Total Seat	UR	EWS 10%	ST (20%)	SC (16%)	OBC (14%)
MPT-Sports	05	2	0	1	1	1
MPT-Ortho	05	2	0	1	1	1
MPT-Cardio	05	2	0	1	1	1
MPT-Neuro	05	2	0	1	1	1
MPT-Gyane	05	2	0	1	1	1
BPT	45	19	4	9	7	6
DMLT	45	19	4	9	7	6
X-ray Tech	27	11	3	5	4	4
Ophthalmic	27	11	3	5	4	4
Dialysis Tech	27	11	3	5	4	4
OT Tech	27	11	3	5	4	4

नोट :-* महिलाओं के लिये मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत आरक्षण सभी वर्गों में उपलब्ध कराया जावेगा।

पाठ्यक्रम में लगने वाली शुल्क का विवरण।

मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण।

प्रशिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष)

पाठ्यक्रम	शिक्षण शुल्क(प्रतिवर्ष)
1. भौतिकी चिकित्सा स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)	115350/-
1. डिग्री पाठ्यक्रम (साढ़े चार वर्षीय पाठ्यक्रम)	64600/-
2. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)	41530/-
3. सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)	30000/-

अन्य शुल्क

डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	अन्य शुल्क	
	प्रति वर्ष	एक बार दिया जाने वाला शुल्क
सुरक्षा निधि (वापिसी योग्य)		5,000/-
खेल कूद मनोरंजन शुल्क	1,000/-	
आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	1,000/-	
प्रयोगशाला एवं सामग्री	1,000/-	
कुल (अन्य शुल्क 1 वर्षीय)	3,000/-	5,000/-

विशेष नोट:-

1. एक बार दिया जाने वाला शुल्क सिर्फ प्रवेश के समय लिया जावेगा।
2. प्रवेश के समय छात्रों को प्रथम वर्ष की पूर्ण शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
3. द्वितीय वर्ष एवं तदुपरांत शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु प्रतिवर्ष नवम्बर/दिसम्बर माह में जमा करना अनिवार्य है। विलंब से फीस जमा करने पर जितने माह विलंब से जमा करेंगे, उतने ही प्रतिशत विलंब शुल्क देना होगा।

4. नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय शासकीय स्वशासी संस्था है। जिसमें संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम स्वशासी संस्था का पूर्णतः स्ववित्तीय (Self Finance) पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम हेतु मध्यप्रदेश शासन से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता है। अतः बी पी टी/एम पी टी एवं अन्य कोर्सों के छात्रों को स्टायफण्ड प्रदाय नहीं किया जावेगा।

5. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संस्था का पूर्णतः स्ववित्तीय पाठ्यक्रम है, जिसमें शासन से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को ग्रीन कार्ड के तहत शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता नहीं होगी। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इस बाबत प्रवेश आवेदन फार्म में संलग्न प्रारूप में राशि रुपये 100/- का संबंधित कोर्स में चयन होने पर शपथ-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

6. विद्यार्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले समस्त (Original) मूल दस्तावेजों को, पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, कार्यालय के रिकार्ड फाइलों में जमा किये जायेंगे। (सभी मार्कशीट/प्रमाण पत्र आदि) समस्त जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की अलग से 10-10 सेट छायाप्रतियां तथा स्कैन पी.डी.एफ फाइल आवेदकों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। क्योंकि कोर्स अवधि के दौरान कार्यालय में जमा मूल दस्तावेजों रिकार्ड से कभी भी कोई मूल अथवा छायाप्रति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि जमा मार्कशीट/प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां अत्यंत आवश्यकता दर्शाते हुए, किसी विद्यार्थी द्वारा चाही गई तो उसके लिये विद्यार्थी को आवेदन के साथ 100/- रु. फोटोकॉपी की छायाप्रति का शुल्क जमा करना होगा।

7. नवीन सत्र प्रारंभ होने के एक माह के अंदर कोर्स का वार्षिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति विलंब से प्राप्त होने या किसी कारणवश न आने की स्थिति फीस स्वयं वहन करनी होगी। एवं परीक्षा में बैठने की पात्रता तभी होगी जब कोर्स की पूरी फीस जमा होगी।

नोट:- 1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को म0प्र0 शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता होगी, यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाती है तो छात्रों को समस्त शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

1. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले छात्रों को कोर्स में लगने वाली फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। म.प्र. शासन द्वारा पैरामेडिकल कोर्स की फीस में वृद्धि की गई है, यदि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा फीस में की गई वृद्धि के अनुरूप यदि छात्रवृत्ति द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है तो छात्र को स्वयं फीस वहन करनी होगी।

- छात्रवृत्ति हेतु डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- ऐसे सभी छात्र-छात्रों को जिन्हें शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी उन्हें आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति फार्म निर्धारित समयवधि (प्रवेश से एक माह तक) में आवेदन करना होगा एवं समय-समय पर छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरना होगा। छात्रवृत्ति फार्म न भरे जाने के कारण संबंधित छात्र-छात्रों को कोर्स की फीस स्वयं वहन करनी होगी।
- छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने की स्थिति में छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी छात्र/छात्राओं की होगी एवं संबंधित छात्र को फीस स्वयं वहन करनी होगी।

प्रवेश के समय लगने वाली शुल्क की जानकारी।

1 भौतिकी चिकित्सा स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम एम पी टी (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

वर्ष		शुल्क
पहले वर्ष में	प्रवेश के समय दो सप्ताह के अन्दर	123350/-
दूसरे वर्ष में	नवम्बर/दिसम्बर 2021	118350/-

2 डिग्री कोर्स साढ़े चार वर्षीय बी पी टी पाठ्यक्रम

वर्ष		शुल्क
पहले वर्ष में	प्रवेश के समय दो सप्ताह के अन्दर	72600/-
दूसरे वर्ष में	नवम्बर/दिसम्बर 2021	67600/-
तीसरे वर्ष में	नवम्बर/दिसम्बर 2022	67600/-
चौथे वर्ष में	नवम्बर/दिसम्बर 2023	67600/-

3 डिप्लोमा पाठ्यक्रम (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

वर्ष		शुल्क
पहले वर्ष में	प्रवेश के समय दो सप्ताह के अन्दर	49530/-
दूसरे वर्ष में	नवम्बर/दिसम्बर 2021	44530/-

4 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

1 वर्ष में	प्रवेश के समय (दो सप्ताह के अन्दर)	38000/-
------------	------------------------------------	---------

प्रवेश के लिए आवश्यक अर्हताएँ

- आवेदक को 12 वीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा बायोलॉजी समूह (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान) से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही इस परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के छात्रों को एवं न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए होना आवश्यक है। ऐसे छात्र जो बारहवीं कक्षा, लेबोरेटरी मेडिसिन, क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री एवं माइक्रोबायोलॉजी से उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्रों को सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नियन पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी।
- आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2020 को 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
- मध्य प्रदेश के मूलनिवासी को प्रवेश में वरीयता दी जावेगी। म.प्र. के मूल निवासी को मेरिट लिस्ट पूर्ण हो जाने पर भी यदि किसी पाठ्यक्रम में सीट रिक्त रह जाती है, तो प्रदेश के बाहर के आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा।
- पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेशित अनारक्षित श्रेणी के प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नियमावली में दर्शानुसार वार्षिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे आवेदक जो किसी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभागीय कर्मचारी है, वह अपने आवेदन पत्र के साथ संचालक स्वास्थ्य सेवार्थ से अनापत्ति प्रमाण (एन.ओ.सी.) पत्र प्राप्त कर उचित माध्यम से प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करें। (आवेदक द्वारा आवेदन किये गये फार्म पर मूलतः विभाग से प्राप्त एन.ओ.सी. की छायाप्रति संलग्न नहीं कि जाती है, तो आवेदक का फार्म जमा/स्वीकार्य नहीं किया जायेगा तथा इस इस संस्था की कोई जबाबदारी नहीं होगी।) विभागीय उम्मीदवारों (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) के लिए पाठ्यक्रम में 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। चयनित कर्मचारियों को अपने विभाग से ऑरिजनल नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करना होगा।
- उम्मीदवार का कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए, धुंधला एवं अस्पष्ट फोटो वाला फार्म स्वीकार नहीं होगा। फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ के नीचे नाम एवं दिनांक अंकित होनी चाहिए। फोटो के पीछे का बैकग्राउंड वाइट (सफेद) होना चाहिए। आवेदक ने जो फोटोग्राफ आवेदन फार्म में लगाया है वही फोटोग्राफ लाइब्रेरी, स्कालरशिप, परीक्षा एवं अन्य जो भी फार्म भरवाये जायें सभी में वही फोटो लगाना होगा। किसी भी स्थिति में बदले हुए फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

चयन प्रणाली

आवेदको का चयन बारहवीं (10+2) बायलॉजी समूह अर्हकारी की परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार मेरिट के अनुसार किया जावेगा। मेरिट के अनुसार आवेदकों को काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जावेगा। सुबह 10:30 बजे से दिनांक01/02/2021 को अराक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिनांक02/02/2020 को अनारक्षित वर्ग / EWS एवं विभागीय उम्मीदवारों की मेरिट के अनुसार काउंसलिंग आयोजित की जावेगी। काउंसलिंग के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध पाठ्यक्रमों (डिग्री/डिप्लोमा) की उपलब्ध सीटों को प्रदर्शित किया जावेगा तथा मेरिट के आधार पर आवेदक को अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम चयन करने की स्वतंत्रता होगी।

काउंसलिंग के प्रथम चरण में स्कुटिनी समिति द्वारा उम्मीदवारों के निम्नलिखित मूल (Original) दस्तावेजों की जांच की जावेगी।

- 1 10 वी कक्षा की अंक सूची।
- 2 12 वी कक्षा की अंक सूची।
- 3 स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
- 4 जन्मतिथि प्रमाण पत्र।
- 5 जाति प्रमाण पत्र केवल अराक्षित वर्ग के लिए
- 6 मूलनिवासी प्रमाण पत्र
- 7 आय प्रमाण पत्र केवल अराक्षित वर्ग के लिए
- 8 माईग्रेशन प्रमाण पत्र
- 9 विभागीय कर्मचारियों के लिए एन ओ.सी.की मूलप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य
- 10 आधार कार्ड मूलप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
- 11 समग्र आई डी छायाप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
- 12 बैंक पास बुक की मूलप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है। (कियोस्क बैंक खाता स्वीकार नहीं होगा।)
- 13 गेप एफिडेविड साटिफिकेट (यदि 12 वीं के बाद गेप हुआ है तो)

14 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम चयन के उपरॉत प्रवेश के समय पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से जमा करना होगा। स्कूटनी समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर उम्मीदवारी का काउंसलिंग के दूसरे चरण, पाठ्यक्रम चयन में भाग लेने की पात्रता होगी।

ऐसे उम्मीदवार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो मेरिट के अनुसार अपनी बारी आने पर निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेखों की जांच एवं निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके स्कुटिनी काउंसलिंग तथा प्रवेश के सभी अधिकार समाप्त हो जावेगें। काउंसलिंग उपरांत रिक्त सीटों पर प्रवेश महाविद्यालय के निर्णय अनुसार दिया जावेगा। यदि आरक्षण के अनुसार किसी आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी।

1. अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीट, अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।
2. अनुसूचित जाति की रिक्त सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।
3. यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार उनकी अराक्षित सीटों की पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र उम्मीदवार से की जावेगी।
4. यदि तीनों आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवार से की जावेगी।
5. यदि एक से ज्यादा उम्मीदवारों के अंक समान हैं, तो इस स्थिति में वह उम्मीदवार जिसके जीव विज्ञान में ज्यादा अंक हैं, उसे प्राथमिकता दी जावेगी, यदि इस आधार पर भी उम्मीदवारों की वरीयता पर निर्णय नहीं हो पाता है, तो अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी। चयनित आवेदको को प्रवेश के समय फीस के अलावा दस्तावेजों की मूलप्रति एवं दो सेट सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के बगैर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. प्रथम काउंसलिंग के बाद कोर्स चयन करने के उपरांत यदि कोर्स बदला जाता है तो कोर्स बदलने का शुल्क 2000/- देय होगा।

7. द्वितीय काउंसलिंग पश्चात भी यदि किसी विषय में सीट रिक्त रह जाती है, तो कोर्स हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र के मेरिट के आधार पर 24/02/2021 के पूर्व प्रवेश दिया जायेगा। द्वितीय काउंसलिंग पश्चात रिक्त सीटों हेतु संस्था की बेवसाइड www.nscbmc.ac.in का अवलोकन करें।
8. प्रवेश के पश्चात यदि किसी कारणवश कोर्स छोड़ा जाता है तो कोर्स छोड़ने की फीस रु 2000/- जमा करने के पश्चात ही मूलदस्तावेज वापिस किये जावेगे। कोर्स केवल प्रथम काउंसलिंग के पश्चात ही छोड़ा जा सकता है।
- 9 छात्र-छात्रों द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि बीच में कोर्स छोड़ा जाता है, तो कोर्स छोड़े जाने की अवधि तक की फीस जमा करने के उपरांत ही मूल दस्तावेज वापिस किये जावेगें।

सामान्य निर्देश

1. यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोड़ता है अथवा बिना सूचना दिए 45 दिन से ज्यादा समय तक अनुपस्थित रहता है, तो इस स्थिति में छात्र/छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा समस्त फीस राजसात कर ली जावेगी। जिसके लिये विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. प्रवेश के समय रु: 5000/- सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा पाठ्यक्रम अवधि के पश्चात् यह राशि छात्र/छात्र को बिना ब्याज के देय होगी। साथ ही किसी कारणवश छात्र/छात्र द्वारा अपना पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ने की स्थिति में सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी।
नोट:- शिक्षण सत्र के दौरान होने वाले नुकसान की पूर्ति सुरक्षा निधि में जमा राशि से की जावेगी तथा शेष राशि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद वापिस की जावेगी।
3. प्रवेश के समय जमा किये गये समस्त मूल अंकसूची/प्रमाण पत्रपाठ्यक्रम अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही वापस किये जावेगें। पाठ्यक्रम अवधि के दौरान मूल अंकसूची एवं प्रमाण पत्र किसी भी कारण से वापस नहीं दिये जायेंगे।
4. छात्रों से समय-समय पर नामांकन शुल्क एवं परीक्षा फीस ली जावेगी।
5. पैरामेडिकल के छात्रों को महाविद्यालय में हॉस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं है।
6. मूल निवासी प्रमाण पत्र जिले के कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
7. चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों से संबंधित नियम बनाने एवं पुराने नियमों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में वह जबलपुर न्यायालयीन क्षेत्र के अंतर्गत होगा।
9. छात्रवृत्ति हेतु डिजीटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
10. आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिन्हें शासन द्वारा छात्रवृत्ति की पात्रता है, उनसे भी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान बीच में सीट छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि तक जिसमें वह अनुपस्थित रहा। अध्ययन का शुल्क वसूला जाएगा।
11. किसी भी शैक्षणिक सत्र में होने वाली परीक्षा में बैठने की पात्रता उन्हीं छात्रों को होगी जिन्होंने वार्षिक शुल्क जमा कर दिया होगा।
12. पूर्व में अध्ययनरत रहने वाले छात्र-छात्रों को नवीन शैक्षणिक सत्र में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

13. आरक्षित वर्ग के ऐसे छात्र-छात्रों जिन्हें शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृत्ति की पात्रता है, को इस संस्था में प्रथम बार पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति के द्वारा शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी, दूसरी बार पुनः पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर समस्त शिक्षण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा।
14. छात्र-छात्रों द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि बीच में कोर्स छोड़ा जाता है, तो कोर्स छोड़े जाने की अवधि तक की फीस जमा करने के उपरांत ही मूल दस्तावेज वापिस किये जावेंगे।
15. आवास भत्ता की पात्रता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा के नियमानुसार देय होगी।

आवश्यक निर्देश

1. रुपये 500/- का वाउचर पैरामेडिकल कार्यालय से प्राप्त कर बैंक आफ बडोदा में जमा करने के उपरांत वाउचर की प्रति उपलब्ध कराने पर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 12/01/2021.....समय 10:30 से एवं जमा करने की अंतिम तिथि ...20/01/2021...को शाम 5:30 बजे तक है। बिलंब शुल्क 200/- के साथ फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 23/01/2021.. शाम 5:30 बजे तक है।
2. आवेदन पत्र को प्रत्यक्ष रूप से अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के नाम से भेजा जा सकता है। (डाक द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात बिलंब से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।)
3. आवेदन पत्र के साथ चाहे गए दस्तावेजों की प्रमाणित (स्वयं के द्वारा प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. न्यूनतम 30 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के पश्चात ही उस पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया जाना संभव हो सकेगा।
5. यद्यपि सभी पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी हैं, फिर भी महाविद्यालय किसी भी छात्र-छात्रा को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।

अनुशासन नियंत्रण

सभी छात्र/छात्र संस्था प्रमुख के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। तथा महाविद्यालय के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, यदि किसी छात्र/छात्रा का आचरण महाविद्यालय के नियमों के विपरीत पाया गया तो, उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुशासन समिति की अनुशंसा पर की जावेगी या पाठ्यक्रम के दौरान कभी भी उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी भी कारणवश प्रवेश निरस्त किया जाता है, तो कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

संस्था प्रमुख को यह अधिकार होगा कि, किसी भी शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र-छात्राओं को अनुशासनहीनता अथवा आचरणहीनता के कारण पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकता है।

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के छात्रों को पूरे समय संस्था द्वारा निर्धारित नीले रंग के एप्रेन एवं नाम पट्टिका(नेमप्लेट) धारण करना आवश्यक होगा।

अनुशासन समिति

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. डॉ० पी० के० कसार | 2. डा० अशोक विद्यार्थी |
| 3. डॉ० गोपाल मरावी | 4. डॉ० अर्जुन सक्सेना |
| 5. डॉ० रश्मी नायक | 6. डॉ० रेखा अग्रवाल |
| 7. डॉ० यू०पी. दीपांकर | |

वचन पत्र का प्रारूप

यह प्रारूप रु: 100/- के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज कराकर आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

मेरे द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश संबंधी नियम विवरण पुस्तिका भली भंती पढ़ ली गई है। जिसमें दर्शाये गये प्रवेश एवं पाठ्यक्रम संबंधी नियमों से मैं संतुष्ट हूँ। एवं मैं यह जानता/जानती हूँ, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों पूर्णतः स्ववित्तीय पाठ्यक्रम है। जिसमें शासन द्वारा संचालित ग्रीन कार्ड सुविधा का कोई लाभ मुझे नहीं मिलेगा और न ही मैं कभी इसकी मांग करूंगा/करूंगी तथा इस सुविधा के लिए मैं न्यायालय की शरण नहीं लूंगा/लूगी। मैं इस पाठ्यक्रम में स्वविवेक से प्रवेश लेना चाहता हूँ। चाहती हूँ एवं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ, कि मैं पूरे पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अथवा इसके पश्चात दर्शाये गये नियमों के विरुद्ध सीधे न्यायालय में याचिका दायर नहीं करूंगा/करूंगी। अपितु किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संस्था से पत्राचार/व्यक्तिगत संपर्क कर समस्या का समाधान करूंगा/करूंगी अन्यथा, मेरे विरुद्ध संस्था द्वारा लिया गया किसी प्रकार का निर्णय मुझे मान्य होगा। उपरोक्त कथन बिना किसी के स्वविवेक से मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके लिए मैं स्वयं जवाबदार हूँ।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

गवाह का पता:-

1.....

हस्ताक्षर.....

.....

पूरा नाम.....

2.....

हस्ताक्षर.....

.....

पूरानाम.....

अनुशासनहीनता (रैगिंग न करने संबंधी)/बगैर सूचना अनाधिकृत
अनुपस्थिति/दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाने वाला शपथ-पत्र

(रु 100 के नॉनजुडीशियलस्टाम्पपेपरपर निष्पादित)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री

.....निवासी

.....नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के पैरामेडिकल
कोर्स के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के पाठ्यक्रममें प्रवेश हेतु
अभ्यर्थी हूँ।

मैं शपथ पूर्वक यह कथन करता/करती हूँ कि कॉलेज परिसर में रैगिंग करने,
रैगिंग में शामिल होने, दुराचरण, अनुशासनहीनता, मारपीट, मरीजों से अभद्र व्यवहार तथा
अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित (बिना पूर्व सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने पर) रहने
के दोषी पाये जाने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त कर मुझे महाविद्यालय से
निष्कासित करने एवं प्रवेश निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

हस्ताक्षर

नाम:-.....

पता:-.....

दिनांक.....

वचन पत्र

मेरे द्वारा विवरण पुस्तिका (नियमावली) का भली भाँति अध्ययन कर लिया तथा मेरे द्वारा
उन नियमों का पालन किया जावेगा।

मैं वचन देता हूँ कि मैंने अपने समस्त मूलदस्तावेज की फोटोकॉपी 10-10-सेट करवाकर
सुरक्षित रख लिए हैं। एवं मूलदस्तावेज भी स्कैन करवा लिए हैं। भविष्य में कार्यालय से किसी
प्रकार के कोई भी दस्तावेज की माँग नहीं करूँगा/करूँगी।

मुझे कॉउंसिलिंग में अवगत करवा दिया गया है कि कार्यालय द्वारा प्रवेश के पश्चात्
किसी भी छात्र को कोर्स पूर्ण होने तक कोई भी मूलदस्तावेज एवं फोटो कापी नहीं दी जावेगी।
मेरे द्वारा पूर्व में पैरामेडिकल का कोई कोर्स नहीं गया है, यदि लिया गया है तो उसकी
जानकारी आवेदन फार्म के में दी जा रही है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का पूरा नाम.....

■ अभ्यर्थी का फोटो

■ अभ्यर्थी का बाएं

■ हाथ का अंगूठा (Left Hand Thumb)

■ अभ्यर्थी हस्ताक्षर

नोट:- अभ्यर्थी के स्वयं बायें हाथ अंगूठे निशान लगाया जाना एवं हस्ताक्षर होना अनिवार्य
है।